पत्रांक–जी / नि0सु0अ0–14–23 / 2014.............................. /

बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव–सह–नियंत्री प्राधिकारी।

सेवा में,

श्री शिवशंकर सिंह,
पिता–स्व0 रमेश चन्द्र सिंह,
बाँसकोठी देवी मंदिर,
थाना–दीघा, पटना–11

स्पीड पोस्ट

पटना, दिनांक–.............जनवरी, 2016

विषयः– **बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 के तहत राज्य में निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने हेतु आपका आवेदन दिनांक–31.03.2014– अस्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि आपके द्वारा बिहार राज्य के अंतर्गत निजी सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन समर्पित किया गया। उक्त के आलोक में निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा–7 (4) एवं बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुशंसा मांगी गयी।

इस संदर्भ में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा वरीय पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया गया है कि आपके विरूद्ध दीघा थाना कांड सं0–134 / 12 दिनांक–01.08.2012, धारा–25 (1–बी0) ए0 / 27 / 30 / 35, आर्म एक्स अंकित है, जिसमें आरोप पत्र समर्पित किया गया है। अतएव उनके द्वारा आपको बिहार राज्य में निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अधिनियम की धारा–7(4) (a) में निहित प्रावधान के तहत आपसे विभागीय पत्रांक–10846 दिनांक–29.09.2015 द्वारा कारण पृच्छा की गयी कि सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने के आलोक में क्यों नहीं अनुज्ञप्ति हेतु आपका आवेदन, दिनांक–**31.03.2014** अस्वीकृत कर दिया जाए ?

प्रत्युत्तर में दिनांक–23.11.2015 को प्राप्त पत्र में आपके द्वारा कहा गया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आप पर दीघा थाना क्षेत्र में कांड सं0–134 / 12 दाखिल किया गया है, जो न्यायालय के विचाराधीन है। उसमें आपको दोषी करार नहीं ठहराया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा पूर्ववृत्त के सत्यापन से संबंधित प्रपत्र–I की कंडिका–16 में सही सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई है।

अतः निजी सुरक्षा अभिकरण विनियमन अधिनियम 2005 की धारा–7(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्ववृत्त के सत्यापन से संबंधित प्रपत्र–I की कंडिका–16 में असत्य सूचना उपलब्ध कराने तथा सक्षम प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं दिये जाने के कारण अनुज्ञप्ति हेतु समर्पित आपका आवेदन दिनांक–**31.03.2014** ***अस्वीकृत*** किया जाता है।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
सरकार के विशेष सचिव।
–सह–नियंत्री प्राधिकारी।

ज्ञापांकः–.............................. **पटना, दिनांक–............जनवरी, 2016**

प्रतिलिपिः– वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के विशेष सचिव
–सह–नियंत्री प्राधिकारी

ज्ञापांकः–176 **पटना, दिनांक–**08**जनवरी, 2016**

प्रतिलिपिः– आई.टी. प्रबंधक, गृह विभाग,बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jitendra 08.01.16

सरकार के विशेष सचिव
–सह–नियंत्री प्राधिकारी

D/Y/Security Agency/Draft